भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1319

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2022

मध्य प्रदेश को दी गई निधियां

†1319. **श्री नकुल के. नाथ**:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) 2018 **से विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है**; **और**

(**ख**) **मध्य प्रदेश राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा निधियों के उपयोग की स्थिति क्या है**?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(**श्रीमती रेणुका सिंह सरुता**)

(क) से (ख): यह मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) **के तहत**, 5 **केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के तहत मध्य प्रदेश सहित राज्यों को निधियां जारी करता है। इस मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई निधियों के विवरण को दर्शाने वाला एक ब्यौरा और** 2018 **से आगे विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई निधियों के उपयोग की स्थिति अनुलग्नक में संलग्न है।**

अनुलग्नक

"मध्य प्रदेश को निधि" के संबंध में श्री नकुल कमल नाथ द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1319 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		निर्मुक्त निधि	राज्य सरकार द्वारा सूचित निधियों का उपयोग	निर्मुक्त निधि	राज्य सरकार द्वारा सूचित निधियों का उपयोग	निर्मुक्त निधि	राज्य सरकार द्वारा सूचित निधियों का उपयोग	निर्मुक्त निधि	राज्य सरकार द्वारा सूचित निधियों का उपयोग
1	**संविधान के अनुच्छेद** 275(1) **के तहत अनुदान**	24635.30*	20540.14	44938.92*	39020.03	4279.78	3383.81	5319.10	0.00
2	**जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (पीएमएएजीवाई** 2021-22 **से)**	16968.97	16637.89	13415.25	13066.35	0.00	--	12268.76	0.00
3	**पीवीटीजी का विकास**	7998.09	5642.08	8064.89	7433.21	2188.11	0.00	2888.69	0.00
4	**जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को सहायता**	738.34	259.45	0.00	--	447.00	330.96	484.58	484.58
5	**अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति**	5884.33	5884.33	7698.90	7698.90	5429.34	5429.34	11458.18	0.00
6	**अनुसूचित जनजाति के**	13405.24	13405.24	12198.58	12198.58	12344.00	12344.00	24529.43	0.00

	छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति								

*वर्ष 2019-20 **तक ईएमआरएस के लिए भी राज्यों को अनुच्छेद** 275(1) **के तहत धनराशि जारी की गई थी।** 2020-21 **के बाद से**, **ईएमआरएस के लिए इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय**, **एनईएसटीएस को राज्यों**/**निर्माण एजेंसियों को इसके आगे के प्रसारण के लिए निधियां जारी की जाती हैं।**

नोट- इसके अलावा, प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (**पीएमजेवीएम**) **की योजना के तहत, योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी ट्राइफेड के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित राज्यों को भी धनराशि जारी की जाती है। इस योजना के तहत, इस मंत्रालय ने लघु वनोपज** (**एमएफपी**) **खरीद के लिए परिक्रामी निधि के रूप में** 3489.00 **लाख रूपये और मध्य प्रदेश राज्य को एमएफपी मूल्य श्रृंखला अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने के लिए 2681.00 लाख रुपये की राशि जारी की है। ट्राइफेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश ने जून, 2022 तक योजना के तहत 1412.83 लाख रुपये की एमएफपी की खरीद की है। इसके अलावा, पीएमजेवीएम के तहत, ट्राइफेड ने मध्य प्रदेश राज्य में 107 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी है, जिसमें 1605 वन धन एसएचजी शामिल हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश को 1605.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।**

*****